पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2013 ई0 (श्रावण 05, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	243–251	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	303–307	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाषा अनुभाग

अधिसूचना

22 मई, 2013 ई0

संख्या 281/XXXiX/13-21(सा0)/2009–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 345 एवं 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित बोलियों एवं भाषाओं के विकास एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से सहर्ष निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा: अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	**5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष**
(1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री /भाषा मंत्री अकादमी के पदेन अध्यक्ष होंगे।	(1) राज्य के मुख्यमंत्री अकादमी के पदेन अध्यक्ष होंगे।
(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।	(2) भाषा विभाग के मंत्री का प्रभार, यदि मुख्यमंत्री के ही नियन्त्रणाधीन हो, तो उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, किन्तु यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है तथा मुख्यमंत्री से इतर भाषा विभाग के मंत्री होने की दशा में भाषा विभाग के मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

नियमावली के संगत अन्य प्राविधान भी उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"The Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 281/XXXiX/13-21(सा0)/2009,** dated May 22, 2013 for general information.

NOTIFICATION

May 22, 2013

No. 281/XXXiX/13-21(सा0)/2009--For the development and promotion of dialects and languages mentioned in Article 345, 351 and 8th Schedule of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the Uttarakhand Hindi Academy Rules, 2009.

The Uttarakhand Hindi Academy (Amendment) Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (1) These Rule may be called The Uttarakhand Hindi Academy(Amendment) Rules, 2013

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttarakhand Hindi Academy Rules, 2009 for the existing rule in rule 5 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted; namely:-

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (rule as here by substituted)
5. Chairman and Vice-Chairman-	**5. Chairman and Vice-Chairman-**
(1) The Chief Minister / Minister of Language will be the Ex-officio Chairman of the Academy.	(1) Chief Minister will be the Ex-officio Chairman of the Academy.
(2) In the absence of chairman, Vice-Chairman will be appointed by the State Government for a certain period but the provisio is that his appointment may be cancelled without giving any prior notice.	(2) In case the Chief Minister is in-charge of the Ministory of Language Department, Vice-Chairman will be nominated by the State Government; and his appointment may be cancelled by State Government at any time without giving any prior notice and in case the Chief Minister is not the Minister in-charge of Language Department, the Minister In-charge of Department of Language will be the Ex-Officio Vice-Chairman.

Above amendment shall apply on other relavent provisions of rules to that extent.

अधिसूचना

22 मई, 2013 ई0

संख्या 287/XXXiX/13-20(सा0)/2009—राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 345 एवं 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के विकास एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से सहर्ष निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भाषा संस्थान(संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा: अर्थात्:—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
(1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे।	(1) राज्य के मुख्यमंत्री संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे।
(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।	(2) भाषा विभाग में मंत्री का प्रभार, यदि मुख्यमंत्री के ही नियन्त्रणाधीन हो, तो उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, किन्तु यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है तथा मुख्यमंत्री से इतर भाषा विभाग के मंत्री होने की दशा में भाषा विभाग के मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होगें।

नियमावली के संगत अन्य प्राविधान भी उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"The Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 287/XXXiX/13-20(सा0)/2009,** dated May 22, 2013 for general information.

NOTIFICATION

May 22, 2013

No. 287/XXXiX/13-20(सा0)/2009--For the development and promotion of languages mentioned in Article 345, 351 and 8th Schedule of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the Uttarakhand Bhasha Sansthan Rules, 2009.

The Uttarakhand Bhasha Sansthan (Amendment) Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (1) These Rule may be called The Uttarakhand Bhasha Sansthan (Amendment) Rules, 2013

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttarakhand Bhasha Sansthan Rules, 2009 for the existing rule in rule 5 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted; namely:-

Column-1 (Existing rule)	**Column-2 (rule as here by substituted)**
5. Chairman and Vice-Chairman-	**5. Chairman and Vice-Chairman-**
(1) The Chief Minister / Minister of Language will be the Ex-officio Chairman of the Sansthan.	(1) The Chief Minister will be the Ex-officio Chairman of the Sansthan.
(2) In the absence of chairman, Vice-Chairman will be appointed by the State Government for a certain period but the provisio is that his appointment may be cancelled without giving any prior notice.	(2) In case the Chief Minister is in-charge of the Ministory of Language Department, Vice-Chairman will be nominated by the State Government; and his appointment may be cancelled by State Government at any time without giving any prior notice and in case the Chief Minister is not the Minister in-charge of Language Department. the Minister In-charge of Department of Language will be the Ex-Officio Vice-Chairman.

Above amendment shall apply on other relavent provisions of rules to that extent.

By Order,

D. S. GARBYAL,

Secretary.

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1

अधिसूचना

27 मई, 2013 ई0

संख्या 539 / XIV-1/2013-7(1)/2012–उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

नियम 415 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 415 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियमा प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) कोई सहकारी समिति (शीर्ष समिति को छोड़कर) अपनी प्रबन्ध समिति में उतने सदस्य रख सकती है, जितने के लिये उसकी उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो किन्तु सदस्यों की संख्या 15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगी। शीर्ष सहकारी समिति में उक्त संख्या अधिकतम 17 तक हो सकती है। समिति की कोई अन्य समिति या उपसमिति उसकी प्रबन्ध समिति से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी समिति या उपसमिति में 07(सात) से अधिक सदस्य नहीं होंगे: प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति में तीन स्थान, जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये, एक अन्य पिछड़े वर्गों एवं एक महिला के लिये आरक्षित होगा: अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय और प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थिति में तीन स्थान, जिनमें से दो महिलाओं के लिये और एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिये चक्रानुक्रम में आरक्षित होगा। (2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई सहकारी समिति, किसी भी कारण से प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों का निर्वाचन न कर सके, जितने के लिये स्थान आरक्षित है या यदि उनमें कोई रिक्ति	कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध समिति में उतने सदस्य रख सकती है जितने के लिये उसकी उप विधियों में व्यवस्था की गई हो, किन्तु सदस्यों की संख्या 21(इक्कीस) से अधिक नहीं होगी। समिति की कोई अन्य समिति या उप समिति इसकी प्रबन्ध समिति से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी समिति या उपसमिति में 7 (सात) से अधिक सदस्य नहीं होंगे; प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में तीन स्थान, जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा दो स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

होती है, वहां प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसे वर्ग के पात्र व्यक्तियों को ऐसी समिति की प्रबन्ध समिति में सहयोजित करके, यथास्थिति, रिक्ति या कमी को भरा या पूरा किया जा सकता है।

नियम 442 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नियम 442 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध समिति के एक से अधिक पद के लिए साथ–साथ चुनाव लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिए नामांकन पत्र वैध पाये जाये तो उसे केवल एक पद के लिए विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिए अपना नामांकन पत्र वापस लेना होगा। नामांकन वापसी के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है तो उसके समस्त नामांकन पत्र अवैध हो जायेंगे। एक चुनाव क्षेत्र में एक प्रत्याशी, एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक होगा। वह किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक नहीं होगा।	कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध समिति के एक से अधिक पद के लिए साथ–साथ चुनाव लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिए नामांकन पत्र वैध पाये जाये तो उसे केवल एक पद के लिए विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिए अपना नामांकन पत्र वापस लेना होगा। नामांकन वापसी के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है तो उसके समस्त नामांकन पत्र अवैध हो जायेंगे। एक चुनाव क्षेत्र में एक प्रत्याशी, एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक होगा। वह किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक नहीं होगा।
स्पष्टीकरण– जहां किसी चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता हो और वही उम्मीदवार हो अथवा जितने उम्मीदवार हों, उनके लिये उतने प्रस्तावक एवं समर्थक उपलब्ध ही न हों तो नामांकन–पत्र इस आधार पर अवैध नहीं हो जायेंगे कि उम्मीदवार के प्रस्तावक एवं समर्थक नहीं हैं।	

आज्ञा से,

कुणाल शर्मा,
सचिव।

NOTIFICATION

May 27, 2013

No. 539/XIV-1/2013-7(1)/2012--In exercise of the powers conferred by Article 128 of Uttarakhand Cooperative Societies Act, 2003 (act no. 5 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the uttarakhand Cooperative Societies Rules, 2004--

THE UTTARAKHAND CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement. **1.** (1) These Rules may be called the Uttarakhand Cooperative Societies (Amendment) Rules, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 415. **2.** In Rule 415 of Uttarakhand Co-operative Societies Rules, 2004 (herein after referred to as Principal rules) set out in column-1 below, the rule as set out in column-II, shall be substituted namely:-

Column -I Existing rule	Column -II rules as hereby substituted
(1) A Cooperative society other than an apex society may have as many persons on its committee of management as may be provided in its bye-laws, subject to a maximum of 15 persons. In the case of an apex society the maximum number may be 17 persons. Any other committee or sub-committee of the society shall be smaller than its committee of management and in no case, such committee, or sub-committee shall consist of more than 7 members: Provided that in the committee of management of every cooperative society 3 seats shall be reserved of which one shall be reserved for scheduled caste or scheduled tribe, one for other backward classes of citizen and one for woman; Provided further that in the case of central and primary consumer cooperative societies, 3 seats shall be reserved of which two shall be reserved for woman and one for persons belonging to scheduled castes or scheduled tribes or other backward classes of citizens by rotation.	A Cooperative society may have as many persons in its Committe of Management as may be provided in its bye-laws, subject to a maximum of 21 (twenty one persons). Any other committe or sub-committe of the society shall be smaller than its committe of management and in no case, such committe, or sub-committe shall consists of more than 7 (seven) members. Provided that in the committe of management of every cooperative society 3 (three) seats shall be reserved of which one shall be reserved for scheduled castes or scheduled tribes and two for women.

2- Where a cooperative society referred to in sub rule (1) for any reasons, whatsoever, fails to elect on the committee of management such number of persons for whom seats are reserved or the vacancy occurs amongst them the vacancy on the deficiency shall be made good or filled, as the case may be, by the committee of management by co-opting from the general body eligible persons belonging to such class on the committee of management of such society.

Amendment of Rule 442. 3. The existing rule 442 of Principal Rules set out in column 1 below the rule as set out in column -II shall be substituted namely-

Column- I Existing rule	Column- II Rules as hereby substituted
A candidate shall not be eligible to contest simultaneously for more than one office of the committee of management. If nomination papers for more than one office are found to be valid, he shall opt only for one office and withdraw his nomination for the rest. If he fails to exercise his option, before the date fixed for the withdrawl , his nomination papers shall become invalid. In a constituency one proposer and one seconder will be for one candidate only, the same will not be eligible to propose or second other candidate.	A candidate shall not be eligible to contest simultaneously for more than one office of the committee of management. If nomination papers for more than one office are found to be valid, he shall opt only for one office and withdraw his nomination for the rest. If he fails to exercise his option, before the date fixed for the withdrawl , his nomination papers shall become invalid. In a constituency one proposer and one seconder will be for one candidate only, the same will not be eligible to propose or second other candidate.
Explanation- Where in a constituency if there is only one voter who himself is the sole contestant or the proposer and the seconder are not available against every contestant, than the nomination papers shall not become invalid on the ground that the contestant does not have the proposer and the seconder.	

By Order,

KUNAL SHARMA,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 30 हिन्दी गजट/432–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2013 ई० (श्रावण 05, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 23, 2013

No. 97/UHC/Admin.A/2013--Pursuant to Government Notification No. 665/XXX-1-2013-26(05)13 dated 22-05-2013, Sri Varun Kumar, Chief Judicial Magistrate, Hardwar is promoted to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900.

May 23, 2013

No. 98/UHC/Admin.A/2013--Pursuant to Government Notification No. 665/XXX-1-2013-26(05)13 dated 22-05-2013, Sri Sayan Singh, Chief Judicial Magistrate, Dehradun is promoted to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900.

May 23, 2013

No. 99/UHC/Admin.A/2013--Pursuant to Government Notification No. 665/XXX-1-2013-26(05)13 dated 22-05-2013, Ms. Monika Mittal, Civil Judge (Sr. Div.) Udham Singh Nagar is promoted to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900.

May 23, 2013

No. 100/UHC/Admin.A/2013--Pursuant to Government Notification No. 665/XXX-1-2013-26(05)13 dated 22-05-2013, Smt. Neelam Ratra, Civil Judge (Sr. Div.) Kotdwar, District Pauri Garhwal, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Bageshwar, in the vacant Court.

May 23, 2013

No. 101/UHC/Admin.A/2013--Pursuant to Government Notification No. 665/XXX-1-2013-26(05)13 dated 22-05-2013, Sri Manoj Garbyal, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun, in the vacant Court.

May 23, 2013

No. 102/UHC/Admin.A/2013--Pursuant to Government Notification No. 665/XXX-1-2013-26(05)13 dated 22-05-2013, Sri Vinod Kumar, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51550-1230-58930-1380-63070, Grade Pay ₹ 8900, is posted as Addl. District & Sessions Judge, Rudraprayag, in the vacant Court.

By Order of the Court,

Sd/-

RAM SINGH,

Registrar General.

CORRIGENDUM

May 24, 2013

No. 103/UHC/Admin.A/2013--In this Court's Notification No. 101/UHC/Admin. A/2013 dated 23-05-2013, the words "Addl. District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun" be read as "2nd" Addl. District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun."

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

RAM SINGH,

Registrar General.

कार्यालय–सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3662 / टी0आर0 / UP02D-3245 / 2013–वाहन संख्या UP02D-3245 भारी वाहन मॉडल–1997 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 373043GQQ117048 इंजन नं0 697D21GQQ122902 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 28–06–2011 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UP02D-3245 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3698 / टी0आर0 / UA08B-9819 / 2013—वाहन संख्या UA08B-9819 ऑटो वाहन मॉडल—2003 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KEMPL 1245F103 इंजन नं0 A3C77451 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 01—04—2013 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA08B-9819 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3699 / टी0आर0 / HR26GA-1281 / 2013—वाहन संख्या HR26GA-1281 भारी वाहन मॉडल—1993 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 359357582374 इंजन नं0 692D28593973 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 24—09—2012 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 HR26GA-1281 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3700 / टी0आर0 / HR-58-2390 / 2013—वाहन संख्या HR-58-2390 भारी वाहन मॉडल—1993 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 360324CVQ708390 इंजन नं0 697D23CVQ721707 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 23—03—2013 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 HR-58-2390 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3701 / टी0आर0 / UA-08B-9868 / 2013—वाहन संख्या UA-08B-9868 भारी वाहन मॉडल—2003 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 374415KWZ401377 इंजन नं0 497SP27KWZ911720 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 07—12—2012 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA-08B-9868 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3702/टी0आर0/UP07F-7028/2013–वाहन संख्या UP07F-7028 भारी वाहन मॉडल–1996 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 360324HTQ11752 इंजन नं0 697D23HTQ139456 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 01–04–2013 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UP07F-7028 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

09 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3703/टी0आर0/UP07F-4558/2013–वाहन संख्या UP07F-4558 भारी वाहन मॉडल–1984 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 344052783166 इंजन नं0 692do2786518 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 29–03–2013 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UP07F-4558 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

03 मई, 2013 ई0

पत्रांक 3777/टी0आर0/UTE-2887/2013–वाहन संख्या UTE-2887 भारी वाहन मॉडल–1973 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 3440023704188 इंजन नं0 692DO13705095 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 19–03–2013 से सम्पर्ण में है। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UTE-2887 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

03 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 3778/टी0आर0/HR-04N-1049/2013–वाहन संख्या HR-04N-1049 मार वाहन मॉडल–1999 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 400060LSQ127768 इंजन नं0 70L62109999 है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 30–03–2013 से सम्पर्ण किये गये हैं। वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 HR-04N-1049 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2013 ई0

पत्रांक 3779/टी0आर0/UK08Z-7068/2013—वाहन संख्या UK08Z-7068 मोटर कार स्कार्पियो मॉडल—2011 इस कार्यालय में श्री विजय यादव पुत्र श्री महेन्द्र सिंह यादव निवासी एम—8, रामनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार (मूल पता वैष्णो धाम, जी0टी0 रोड, अलीगढ़) के नाम पर दिनांक 02.11.2012 में पंजीकृत हुयी है, जिसका चेसिस नं0 MA1TA2HANB2C33569 इंजन नं0 HAB4C14651 है। कार्यालय में प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर वाहन के डीलर मेसर्स विनीत आटोमोबाईल्स प्रा0 लि0 दिल्ली रोड, अलीगढ़ एवं पंजीयन अधिकारी अलीगढ़ से प्रपत्रों की जाँच करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि श्री विजय यादव पुत्र श्री महेन्द्र यादव मूल निवासी वैष्णो धाम, जी0टी0 रोड, अलीगढ़ (उ0प्र0) के द्वारा फर्जी प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर वाहन का पंजीयन कराया गया है।

अतः, मैं, सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55(5) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UK08Z-7068 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

सुधाकर चन्दोला,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/432—भाग 1—क—2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।